

अन्य अनुदेश:-

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को
2. इसकी प्राप्ति की रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम क्षेत्र हेक्टेयर में कम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
3. यदि उपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया अलग से ब्यौरा/दस्तावेजों को संलग्न करें।
4. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधुरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अग्रेषित करने में विलम्ब हुआ तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना

मार्ग का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण.

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 6-7-2011 को वन विभाग याचक विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें स्थिति निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	प्रजाति वृक्ष	ब्लाक एवं कक्ष	व्यास से मी० में	वृक्षों का योग	प्रभावित होने वाली वन भूमि का विवरण
1	2	3	4	5	6
	वृक्षों की सूची संलग्न है,			173 वृक्ष	प्रस्तावित मोटर मार्ग में 2.6740 है. आरक्षित वनभूमि 0.3675 है. सोपान वनभूमि तथा 1.1585 है. नाप भूमि प्रभावित होगी. इस मार्ग के निर्माण से विभिन्न प्रजाति के 173 वृक्ष बाधित होंगे. इस क्षेत्र का वानस्पतिक धनत्व 0.4 से अधिक है,
सहायक अभियन्ता - II निर्माण विभाग, को० नि० वि० बड़कोट (उत्तरकाशी) वन विभागीय वनाधिकारी बृषं बमुना वन प्रभाग बड़कोट अतिरिक्त अभियन्ता निर्माण विभाग, को० नि० वि० बड़कोट (उत्तरकाशी) वन विभागीय वनाधिकारी बृषं बमुना वन प्रभाग बड़कोट					

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 6-7-2011 को कुड से कोटला मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग की ओर से उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट, वन क्षेत्राधिकारी रवॉई रेंज वन दरोगा रवॉई रेंज राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय पटवारी तथा याचक विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अमीन तथा सम्बन्धित स्टाफ उपस्थित थे।

प्रशानगत मोटर मार्ग में विभिन्न प्रजाति के 173 वृक्ष तथा कुल 3.0415 हे० वन भूमि प्रभावित होगी। वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट

उपप्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

क्षेत्रीय पटवारी

अमीन

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

09 के आदेशानुसार कुडपुल-कोटला मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की संयुक्त निरीक्षण के दौरान

क्र०स०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	आस जमी	स०	क्र०स०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	आस जमी	स०
					49	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	80-90	1
1	चौड हरा खड़ा	कुड स०	40-50	1	50	चौड हरा खड़ा	कुड स०	60-70	1
2	चौड हरा खड़ा	कुड स०	40-50	1	51	चौड हरा खड़ा	कुड स०	60-70	1
3	चौड हरा खड़ा	कुड स०	30-40	1	52	चौड हरा खड़ा	कुड स०	70-80	1
4	चौड हरा खड़ा	कुड स०	20-30	1	53	चौड हरा खड़ा	कुड स०	30-40	1
5	चौड हरा खड़ा	कुड स०	30-40	1	54	चौड हरा खड़ा	कुड स०	40-50	1
6	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	50-60	1	55	चौड हरा खड़ा	कुड स०	50-60	1
7	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	40-50	1	56	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1
8	चौड हरा खड़ा	कुड स०	40-50	1	57	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1
9	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	50-60	1	58	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1
10	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	50-60	1	59	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1
11	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	50-60	1	60	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	70-80	1
12	देवदार हरा खड़ा	कुड स०	20-30	1	61	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	70-80	1
13	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	62	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1
14	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1	63	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1
15	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	64	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	70-80	1
16	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	65	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1
17		विद्याली 10 B	30-40	1	66	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1
18	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	20-30	1	67	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1
19	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1	68	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1
20	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1	69	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1
21	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1	70	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	70-80	1
22	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	71	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1
23	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	72	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1
24	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	73	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1
25	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1	74	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1
26	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	75	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	30-40	1
27	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1	76	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	70-80	1
28	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	77	चौड हरा खड़ा	विद्याली 10 B	50-60	1
29		विद्याली 10 B	40-50	1	78	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1
30		विद्याली 10 B	60-70	1	79	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	70-80	1
31	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	60-70	1	80	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	30-40	1
32	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	81	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	60-70	1
33	देवदार हरा खड़ा	विद्याली 10 B	40-50	1	82	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	80-90	1
34	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	83	कुकाट	नाप खेत	50-60	1
35	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	80-90	1	84	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	70-80	1
36	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	90-उपर	1	85	अयार	विद्याली 1 B	30-40	1
37	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	40-50	1	86	अयार	विद्याली 1 B	50-60	1
38	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	60-70	1	87	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	40-50	1
39	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	88	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	70-80	1
40	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	60-70	1	89	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	40-50	1
41	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	30-40	1	90	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	80-90	1
42	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	70-80	1	91	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	40-50	1
43	देवदार हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	92	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	70-80	1
44	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	93	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	40-50	1
45	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	94	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	80-90	1
46	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	50-60	1	95	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	40-50	1
47	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	40-50	1	96	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	30-40	1
48	चौड हरा खड़ा	नाप खेत	70-80	1	97	चौड हरा खड़ा	विद्याली 1 B	70-80	1

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

सहायक अभियन्ता गण

2.4.1.1

मार्ग का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण.
योजना का नाम

विभाग द्वारा सहमति दी जाती है कि जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत निम्न कार्य को कराने में जो वृक्ष प्रभावित होंगे यदि वन प्रभाग उनका निस्तारण अपने स्तर पर न कर सका तो उसकी तथा वृक्षों की प्रतिपूर्ति में विभाग द्वारा जो वृक्ष लगवाने का व्यय वन विभाग निर्धारित करेगा। उसे कार्य कराने से पूर्व याचक विभाग द्वारा वन नीधि के खाते में जमा करा दिया जायेगा

क्र० सं०	कार्य का नाम	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (है०में)
1	2	3	4
1	कुड़ से कोटला मोटर मार्ग	विद्याली 1 B विद्याली 2 B विद्याली 4 A विद्याली 10 B	3.0415 है०

क्र० सं०	वर्ग	विद्याली	क्षेत्रफल (है०में)	क्र० सं०	वर्ग	विद्याली	क्षेत्रफल (है०में)
292	अयार	विद्याली 4 A	40-50	341	कुकाट	विद्याली 4 A	20-30
293	बाँज	विद्याली 4 A	20-30	342	कुकाट	विद्याली 4 A	20-30
294	चाँड	विद्याली 4 A	40-50	343	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
295	चाँड	विद्याली 4 A	20-30	344	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
296	अयार	विद्याली 4 A	30-40	345	बाँज	विद्याली 4 A	40-50
297	अयार	विद्याली 4 A	40-50	346	कुकाट	विद्याली 4 A	40-50
298	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	347	बाँज	विद्याली 4 A	40-50
299	चाँड	विद्याली 4 A	70-80	348	बाँज	विद्याली 4 A	20-30
300	चम खंडाक	विद्याली 4 A	40-50	349	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
301	चाँड	विद्याली 4 A	50-60	350	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
302	चाँड	विद्याली 4 A	10-20	351	बाँज	विद्याली 4 A	40-50
303	चाँड	विद्याली 4 A	70-80	352	बाँज	विद्याली 4 A	50-60
304	चाँड	विद्याली 4 A	40-50	353	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
305	चाँड	विद्याली 4 A	50-60	354	बाँज	विद्याली 4 A	30-40
306	चाँड	विद्याली 4 A	80-90	355	चाँड	विद्याली 4 A	50-60
307	बुरास	विद्याली 4 A	50-60	356	बाँज	विद्याली 4 A	20-30
308	मंज	विद्याली 4 A	30-40	357	बाँज	विद्याली 4 A	60-70
309	बुरास	विद्याली 4 A	40-50	358	बाँज	विद्याली 4 A	20-30
310	मंज	विद्याली 4 A	40-50	359	बाँज	विद्याली 4 A	40-50
311	बुरास	विद्याली 4 A	70-80	360	बाँज	विद्याली 4 A	40-50
312	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	361	मंज	विद्याली 4 A	30-40
313	चाँड	विद्याली 4 A	40-50	362	मंज	विद्याली 4 A	40-50
314	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	363	बाँज	नाप खत	40-50
315	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	364	बाँज	नाप खत	40-50
316	चम खंडाक	विद्याली 4 A	40-50	365	अयार	नाप खत	30-40
317	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	366	अयार	नाप खत	30-40
318	चाँड	विद्याली 4 A	50-60	367	अयार	नाप खत	30-40
319	चाँड	विद्याली 4 A	30-40	368	अयार	नाप खत	30-40
320	चाँड	विद्याली 4 A	70-80	369	अयार	नाप खत	30-40

अ.प्र. २६

प्र.प्र. २६

सहायक अभियन्ता - II
निर्माण गण्ड, नो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण गण्ड, नो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता

(70 जी० चोइस में वृक्षों की गणना लक्ष्मी)

[illegible]

20(c)

कुड़ कोटला मोटर मार्ग वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण

क्र०सं०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग	क्र०सं०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग
81	चोड़ हरा	नाप भूमि	70-80	121	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०3	40-50
82	चोड़ हरा	नाप भूमि	40-50	122	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	30-40
83	चोड़ हरा	नाप भूमि	30-40	123	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०3	30-40
84	चोड़ हरा	नाप भूमि	20-30	124	वान हरा	विद्याली क०सं०3	30-40
85	चोड़ हरा	नाप भूमि	60-70	125	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	20-30
86	चोड़ हरा	नाप भूमि	40-50	126	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०3	50-60
87	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	90- Over	127	वान हरा	विद्याली क०सं०3	30-40
88	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	50-60	128	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	50-60
89	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	50-60	129	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	0-20
90	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	130	वान हरा	विद्याली क०सं०3	50-60
91	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	40-50	131	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	40-50
92	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	132	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	20-30
93	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	133	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	20-30
94	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	50-60	134	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	30-40
95	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	80-90	135	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	20-30
96	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	90- Over	136	कुकाट हरा	नाप भूमि	20-30
97	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	50-60	137	अयार हरा	नाप भूमि	30-40
98	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	138	वान हरा	नाप भूमि	20-30
99	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	139	कुकाट हरा	नाप भूमि	20-30
100	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	50-60	140	वान हरा	नाप भूमि	40-50
101	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	141	बुरांश हरा	नाप भूमि	20-30
102	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	142	वान हरा	नाप भूमि	40-50
103	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	143	वान हरा	नाप भूमि	20-30
104	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	144	वान हरा	नाप भूमि	50-60
105	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	145	वान हरा	विद्याली क०सं०4	40-50
106	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	146	मोरु हरा	विद्याली क०सं०4	30-40
107	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	147	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	50-60
108	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	40-50	148	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	30-40
109	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	149	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	40-50
110	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	40-50	150	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	30-40
111	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	40-50	151	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	60-70
112	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	10-20	152	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	50-60
113	कुकाट हरा	विद्याली क०सं०3	10-20	153	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	60-70
114	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	154	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	70-80
115	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	40-50	155	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	40-50
116	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	156	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	30-40
117	अयार हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	157	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०4	40-50
118	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	158	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	20-30
119	बुरांश हरा	विद्याली क०सं०3	30-40	159	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	20-30
120	वान हरा	विद्याली क०सं०3	20-30	160	चोड़ हरा	विद्याली क०सं०4	70-80

(शब्दवर्णमाला)
कवचम

कुड कोटला मोटर मार्ग वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण

20(d)

क्र० सं०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग	क्र० सं०	प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग
161	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	60-70				
162	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	20-30				
163	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	40-50				
164	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	40-50				
165	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	50-60				
166	वान हरा	विशाली क० सं० 04	20-30				
167	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	70-80				
168	बुरांश हरा	नाप भूमि	30-40				
169	वान हरा	नाप भूमि	20-30				
170	आयार हरा	नाप भूमि	30-40				
171	वान हरा	नाप भूमि	50-60				
172	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	40-50				
173	चीड़ हरा	विशाली क० सं० 04	50-60				

(रिहवाल)
देवद

(सरदार सिंह)
क० वी० 30

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या
कुड से कोटला मोटर मार्ग में नाप खेत में वृक्षों की सूची।

गोश्वारा सूची के अनुसार

क्र० सं०	प्रजाति	0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ओवर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चीड़	—	2	1	2	1	2	1	—	—	9
2	कुकाट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	आंयार	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
4	वान	—	3	—	2	2	—	—	—	—	2
5	बुरांश	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
	योग	—	8	4	4	3	2	1	—	—	22

क्र० सं०	प्रजाति	0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ओवर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चीड़	—	1	1	3	2	—	—	—	—	7
2	देवदार	—	1	—	1	3	—	—	—	—	5
	योग	—	2	1	4	5	—	—	—	—	12

कुड से कोटला मोटर मार्ग में नाप खेत में वृक्षों की सूची।

क्र० सं०	प्रजाति	0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ओवर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वान	—	2	3	2	1	—	—	—	—	8
	देवदार	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
3	चीड़	4	17	15	19	11	10	5	5	5	91
4	खडीक	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
5	आयार	—	6	6	3	1	—	—	—	—	16
6	बुरांश	—	—	3	2	1	—	—	—	—	6
7	कुकाट	2	5	3	2	1	—	—	—	—	13
8	मोरु	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	योग	—	8	4	4	3	2	1	—	—	39
	कुल योग	6	41	36	36	25	13	6	5	5	173

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(21)

जनसंख्या व परिवारों की संख्या का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुड़ से कोटला मोटर मार्ग

योजना के अन्तर्गत ग्राम कुड़ नावड, कोटला

को लाभान्वित किया जाना है, जिसका विवरण कुल परिकल्पित जनसंख्या 329 है एवं परिवारों की संख्या 66 है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिकांशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटर मार्ग

परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली वन भूमि का विवरण
(लैण्ड स्पेडयूल)

क्र० सं०	वन भूमि का प्रकार	रैंज का नाम	वीट	ब्लॉक एवं कम्पार्टमेंट / सोयम वन भूमि का नाम	कार्य का विवरण	लम्बाई	चौड़ाई	आवश्यक क्षेत्रफल हे० में
1	आरक्षित वन भूमि	रवाई	विथाली	विथाली 1b, 2b, 4A, 10b	मोटर मार्ग निर्माण	3820 मी०	7.0 मी०	26740 हे०
2	सोयम वन भूमि	रवाई	"	कुड़ एवं कोटला सोयम	- " -	525 मी०	7.0 मी०	3675 हे०
3	निजी (गाय) भूमि	रवाई	"	कुड़ एवं कोटला (निजी) भूमि	- " -	1655 मी०	7.0 मी०	11585

योग 4.200 हे०

सहायक अभियन्ता - II
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिकांशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप निरीक्षक
बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रतिनिधित्व

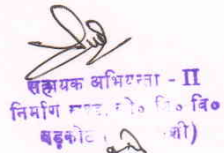
अधिकांशी अभियन्ता
बड़कोट

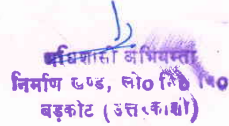
न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण में वन भूमि में कार्य हेतु 3.0415 है० वन भूमि का प्रयोग की जायेगी। यह न्यूनतम है। इसके कम भूमि में कार्य करना सम्भव नहीं है।

1. वन भूमि का प्रिमियम जो की शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्तें निर्धारित की जायेंगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।


75


सहायक अभियन्ता - II
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


2003/03/20


उप-प्रभारी वन विभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

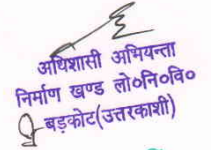
y

मार्ग का नाम : कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

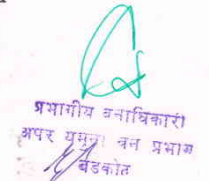
राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण का प्रमाण-पत्र

प्रतिहस्ताक्षरित

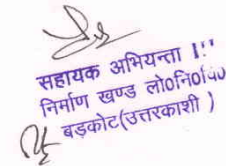

उप-प्रभारी वन विभाग
अपर वन विभाग प्रभाग
बड़कोट


अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


वन सहायक
लो० नि० वि० (बड़कोट)


प्रभारी वन विभाग
अपर वन विभाग प्रभाग
बड़कोट


75


सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


75

मार्ग का नाम :- कुड से कोटला मार्ग का निर्माण कार्य

निर्माण कार्य नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभाग वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

उप-प्रभाग वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

मार्ग का नाम :- कुड से कोटला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

घनत्व एवं वन्य जीव का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना में जो वन भूमि प्रयोग की जायेगी उसका वानस्पतिक घनत्व ०.०४ से कम/अधिक है एवं वन्य जीव के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभाग वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

उप-प्रभाग वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

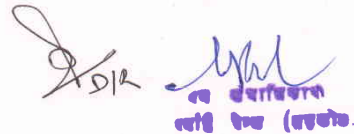
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

मार्ग का नाम :- कुड़ से कोतला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(27)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुड़सोयम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
चयनित किया गया क्षेत्र वन प्रबन्ध की दृष्टि से उपयुक्त है।


उप-प्रभाग प्रमुख
बड़कोट

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभाग प्रमुख
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

मार्ग का नाम :- कुड़ से कोतला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(28)

धार्मिक स्थल का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई काब्रिस्थान, मन्दिर, मस्जिद एवं
धार्मिक स्थल नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभाग प्रमुख
बड़कोट

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

27/9/19
20 अक्टूबर 2019



उप-प्रभाग प्रमुख
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप-प्रभाग प्रमुख
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

जिलाधिकारी
बड़कोट

सेनानी श्रीमान आदेशासी अभियन्ता
जी. डब्लु. टी. बड़कोट
अनपद उत्तरकाशी

शहोदर जी से निवेदन है कि आंग
पञ्चायत कुछ कौतला मोटर मार्ग रुक
वर्ष पहले से स्वीकृत है जिस मार्ग पर

मार्ग से राबि.प.
स मार्ग का रुक
और इस मार्ग पर कार्य सुरु है

आप इस मार्ग पर कार्य सुरु है
और सर्वे इस मार्ग पर
कराया जायेगा इस पर
नहीं है इस पर
आवेदन है इस पर
कार्यवाही नहीं होती

दोनों पञ्चायत के गाँव वासीयों
आवेदन पर लिख
स्वीकृत किया जायेगा का कार्य है
अतिरिक्त शहोदर जी से निवेदन है
आवेदन के लिए डब्लु. टी. बड़कोट
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम :- कुछ से कौतला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुछ से कौतला मोटर मार्ग निर्माण कार्य
मे.प्र.मु.व. होने वाली वन भूमि में निर्माण हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। किन्तु अन्य
विकल्पों पर अधिक भूमि तथा अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण प्रस्तावित समरेखण ही
स्वीकृत किया गया है। इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभाग प्रभारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि.
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप-प्रभाग प्रभारी
बड़कोट
हृदय-विभागीय
उत्तरकाशी

मार्ग का नाम :- कुड से कोलला मोटर मार्ग का नियोजन कार्य

(31)

प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय पार्क/अभ्यरण की दूरी का प्रमाण-पत्र

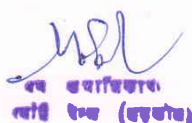
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल से गोविन्द पशु विहार की दूरी लगभग 55 कि०मी० है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।



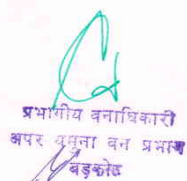
सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)




उप-प्रभारी
लो०नि०वि० (बड़कोट)

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभारी वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

मार्ग का नाम :- कुड से कोलला मोटर मार्ग का नियोजन

(32)

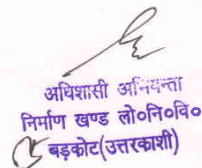
भू: वैज्ञानिक की शर्तें/सुझाव मान्य होने का बचनबद्धता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु भू: वैज्ञानिक द्वारा दी गई शर्तें/ सुझावों के अनुरूप ही याचक विभाग निर्माण कार्य करवाने को बचनबद्ध है।



सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)




अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम :- कुण्ड से मोरला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(33)

योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र

योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियों के अनुरूप कार्य करने हेतु याचक विभाग वचन बद्ध है।


35


सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम :- कुण्ड से मोरला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(34)

राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक शर्तों के अनुपालन हेतु याचक विभाग वचनबद्ध है।


35


सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम :- कुड़ से कोटला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(35)

रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण सीमांकन एवं आर०सी०सी० पिल्लरों को स्थापित करने हेतु

वांछित धनराशि जमा करने का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक रोपण तथा अनुरक्षण या दण्डस्वरूप क्षतिपूरक की लागत के साथ-साथ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण, सीमांकन व आर०सी०सी० पिल्लर स्थापित करने हेतु जो भी धनराशि वन विभाग निर्धारित करेगा वह याचक विभाग जमा करेगा।


30


सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)
13

मार्ग का नाम:- कुड़ से कोटला मोटर मार्ग

(36)

एन०पी०वी० जमा किये जाने का प्रमाण - पत्र

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि 3.0415 है० के एवज में रु० 2855969/ एन०पी०वी० की धनराशि याचक विभाग जमा करने हेतु वचनबद्ध है।


78


सहायक अभियन्ता - II
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण : 28, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मार्ग का नाम :-

(अ)

कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का
प्रमाण- पत्र

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है,
तो याचक विभाग बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हेतु वचनवद्ध है।


38


सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट(उत्तरकाशी)


आदेशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट(उत्तरकाशी)

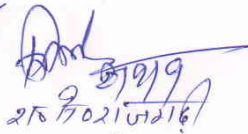
मार्ग का नाम :- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

(30)

न्यूनतम सोयम वन भूमि का प्रमाण-पत्र (जिलाधिकारी द्वारा)

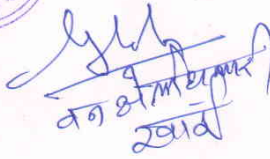
प्रमाणित किया जाता है कि कुड सुल् - कोटला मोटर मार्ग के
निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प
नहीं है।

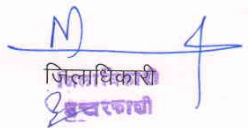



25/12/2021 जमादी




उप-निर्देशाधीन
बड़कोट
उत्तरकाशी


वन अधिकारी
खादी


जिलाधिकारी
बड़कोट


अभियन्ता वन विभाग
बड़कोट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम- तुलसी कुतला मोटर मार्ग निर्माण
 वृक्षारोपण स्थल का नाम- तुलसी सोमपुर क्षेत्रफल 6.50 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- [द्वितीय चरण, वान, अखरोट, चुल्हा आदि]

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	सर्वे			
2.	क्षेत्र			
3.	अग्नि			
4.	गद्दा			
5.	निरीक्ष			
6.	मृदा			
7.	अन्य संग्रह			
8.	चैक			
9.	पौधों			

वाग प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	गद्दा भरण कार्य	12000 फीट	0.97	1164.00
2.	पौध डुलान कार्य	12000 फीट	0.97	1164.00
3.	पौधरोपण व थावलाबन्दी	12000 फीट	5.00	60000.00
4.	निरीक्ष-गुड़ाई (मछिलंग)	12000 फीट	2.00	24000.00
5.	खाद व दवा पर व्यय	100 फीट	20.00	2000.00
6.	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 9 माह	12000 फीट	16.00	192000.00
7.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5280.00	5280.00	47520.00
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	6.00 ha	282.00	1692.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.00 ha	444.00	2664.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
9.	अन्य व्यय, साईन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोखरी, सूतली, बोरी आदि का क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने से पौलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फिल्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	6.00 ha	102.00	612.00
10.	कन्ट्र फ्री में घास हिल्लि लगाना	6.00 ha	679.00	4074.00
11.	कन्ट्र फ्री में घास हिल्लि लगाना	6.00 ha	0.60	7200.00

द्वितीय चरण

तृतीय चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.00 ha	444.00	2664.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
योग- तृतीय चरण				70326.00

चतुर्थ चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.00 ha	444.00	2664.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
योग- चतुर्थ चरण				70326.00

पंचम चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.00 ha	444.00	2664.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
योग- पंचम चरण				70326.00
कुल योग				70326.00

49

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	घनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं जवलेनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ- प्रशिक्षण	6.00 ha	444.00	2664.00
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
	योग- प्रत्यक्ष चरण			70326.00

सत्यम् चरण

क्र०	कार्य का विवरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1682.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ- प्रशिक्षण ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	444.00	2664.00
	योग- सार्वजनिक चरण	6.00 ha	222.00	1332.00
	अग्रणी चरण			70326.00

अष्टमः चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00 ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00 ha	282.00	1682.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00 ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ- प्रशिक्षण	6.00 ha	444.00	2664.00
	ब- प्रोत्साहन	6.00 ha	222.00	1332.00
	योग- अवशेष वरण			
	कुल			70326.00

Rate Analysis

Rate Analysis:

मवम परण

क्र० स०	कार्य का विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुपेक्षण कार्य 12 माह	6.00ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास कूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	6.00ha	282.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ- प्रशिक्षण	6.00ha	444.00	2664.00
	ब- प्रोत्साहन	6.00ha	222.00	1332.00
	योग- युवक चरण			70321.00

दसप्र चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	-	-	-
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.00ha	5280.00	63360.00
2.	2.1 युक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं जवलनशील पदार्थ को हटाना	6.00ha	262.00	1692.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.00ha	213.00	1278.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.00ha	444.00	2664.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन			
	योग- दस्ता चरण	6.00ha	222.00	1332.00
	क- ग			76326.00

कुल योग →

1593591

राज्य प्रभागीय वनाधिकारी
अवर द्यूता वन प्रभाव
बड़कोट

वन सहायिका
रवाई वन राजि
बडकोट अन्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर वनमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन भूमि की दरें

प्रमाणित किया जाता है कि कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण में हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि 3.0415 है० वन भूमि का मूल्य रू० 1000 प्रति नाली या 50000.00 प्र० है० की दर से

जिलाधिकारी,

कार्य का नाम :- कुड से कोटला मोटर मार्ग

47

खसरा प्रमाण- पत्र

ग्राम कुड

तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी

खसरा न०	क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल	नाम खातेदार का	विवरण
306	0.044	0.015	उत्तराखण्ड सरकार	
322	1.818	0.030	उत्तराखण्ड सरकार	
728	0.441	0.40	उत्तराखण्ड सरकार	
1903	0.289	0.014	उत्तराखण्ड सरकार	
1790	0.140	0.016	उत्तराखण्ड सरकार	
कुल 05	-	0.115 हे०		
<u>ग्राम - कोटला</u>				
2680	0.379	0.020	उत्तराखण्ड सरकार	
2765	0.942	0.071	उत्तराखण्ड सरकार	
903	0.820	0.055	उत्तराखण्ड सरकार	
271	1.314	0.107	उत्तराखण्ड सरकार	
कुल 04	-	0.253 हे०		
कुल योग -		0.368 हे०		

पटवारी

उप जिलाधिकारी
बड़कोट, उत्तरकाशी

:मानक शर्तें:

(वन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 7314/14-3-980/82
दिनांक 31/12/1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

Deban
-7E

सहायक अभियन्ता !!!
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट

एस.सी.पी.

संख्या-2171 / 111-2/05-59(प्र.आ.) / 05

प्रेषक,
टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता रतार-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 52(बानन) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 52(बानन) नये कार्यों के रुपये 6309.14 लाख की लागत के आगमनों पर टी.एस.पी. द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 5839.20 लाख (रु० अठानव करोड़ उन्नालीस लाख बीस हजार मात्र) की लागत के आगमन की उनके समुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसकी समुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 10.40 लाख (रु० दस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की गयी श्री राज्यपाल महोदय भिन्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार याच से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का मूल्यांकन नियमानुसार प्रयोग गरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य करने से पूर्व निरस्त आगमन / गारंटीय गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राथमिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर खर्च की व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ड है, स्वीकृत नार्ड से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व निरस्त आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के कम नजर रखत हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विधिपत्रों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व स्थल का गली गॉटि निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूमिपतिता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगमन में दिन गवरी हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मर में किया जाय, एक मर का दूसरी मर में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपरान्त प्राप्त आने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, नो० सि० प्रि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो० सि० प्रि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

स्वीकृत की जा रही धनराशि का आग्रह तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि का उपलब्धता सुनिश्चित कर उसका कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आग्रह न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व दिन गारंटी में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुरिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगमनों/पुनरीक्षित आगमनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगमनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किरत तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किरत अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 राइकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-000-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया-निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-गू.ओ.-105/XXVII/(2)/2005 दिनांक 16 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 52 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2171

(1) / 111-2/05, तददिनांक।

प्रतिनिधि भिन्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रभम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पीछी।
- 3- समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- तहसिल कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
- 6- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो० सि० प्रि०, अलमोड़ा/पीछी।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो० सि० प्रि०, उत्तरांचल।
- 8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तरांचल शासन
- 10- गार्ड फ़ाइल।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, नो० सि० प्रि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो० सि० प्रि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

संसाधन संख्या: 111(2)/05-59(प्र.आ.)/05 दिनांक 10 नवम्बर, 2005 का संलग्नक
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005- 06 में व्यय की सकीकृति
1	देवलथल-चौकाठाना बगडोली मोटर मार्ग के किमी 0 3 से थालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	43.10	35.60	0.20
2	बुगाछीना-अलगडा मोटर मार्ग के किमी 0 4 से पेटखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	135.10	124.60	0.20
3	जोआई0सी0सुकोली मोटर मार्ग के किमी 0 2 से ग्राम डुण्डखोला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं नव निर्माण	10.00	226.20	177.60	0.20
4	देवलथल-कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी 0 2 से रीठा तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	40.40	35.60	0.20
5	लछेर से सोडलेख तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	4.00	69.60	69.60	0.20
6	जाख-पुराना-मेलडुंगरी मोटर मार्ग का विस्तार (मैल्डू तक स्वीकार्य)	25.00	482.50	445.00	0.20
7	सुवालेश से पुंगरीली मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	2.00	34.80	28.60	0.20
8	बडासी से कांठबोरा होते हुये बीनकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	220.00	178.00	0.20
9	कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग रांगडी नामक स्थान से अम्बेडकर ग्राम लिमाटोडा हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.00	85.90	84.82	0.20
10	कनालीछीना-पीपली मोटर मार्ग के छडनदेव से नुवाली मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	262.70	262.70	0.20
11	अम्बेडकर ग्राम कांडा हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	---	60.74	60.74	0.20
12	विमतीली रोसांल मोटर मार्ग से सम्पर्क मार्ग हल्का वाहन मार्ग मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुल्ला तक विस्तार कार्य	12.00	199.40	198.68	0.20
13	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत चमडिया छयोडी ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	15.00	322.50	322.50	0.20
14	अम्बेडकर ग्राम रिखोली ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	11.00	236.50	236.50	0.20

सहयक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0
बडकोट(उत्तरकाशी)

P.C. attested

सहायक अभियन्ता

	गोणा त्वासी-शिल्टोना ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	4.00	86.00	86.00	0.20
16	जनपद पौड़ी विकास खण्ड पावौ में ग्राम कोला सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण	4.00	62.40	62.40	0.20
17	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में ग्राम ओडगांव सम्पर्क ह0वा0मार्ग चौड़ीकरण पक्कीकरण एवं किमी0 3 में 15 मी0 मीसिंग सेतु का निर्माण	4 15मी0 रथान सेतु	77.40	77.40	0.20
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकरवर में ग्राम सेम व भरपुर ह0वा0मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण	10.60	165.36	165.36	0.20
19	जनपद टिहरी गढ़वाल में थलूड ककडू ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन कर पक्का करना	4.65	72.54	72.54	0.20
20	कुपनौर से हलना मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	94.80	94.80	0.20
21	उत्तरकाशी में थातारा से अरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	31.60	31.60	0.20
22	उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत कुवां-कफनौल मोटर मार्ग से रिमलराशी अम्बेडकर मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।	3.00	32.10	32.10	0.20
23	अरथाई खण्ड लो0नि0 थलूड (टिहरी) के अन्तर्गत कैपटी थलूड मोटर मार्ग का डामरीकरण	3.00	43.95	43.95	0.20
24	पौड़ी गढ़वाल में सुरपुर से वहेडाखाल-खाण्डा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	15.00	219.75	219.75	0.20
25	उत्तरकाशी में गड अम्बेडकर हल्के वाहन मार्ग से सरनाचक तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	56.40	47.40	0.20
26	उत्तरकाशी में डडखोला-जिव्या टण्डोल हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण व डामरीकरण का कार्य	9.30	221.00	144.70	0.20
27	थाती-डिचली मोटर मार्ग का डामरीकरण	2.00	32.56	32.56	0.20
28	वडडा-ववीतड मोटर मार्ग के किमी0 5 से ग्राम आडुखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	63.30	53.40	0.20
29	थल-लेजम ह0वा0मार्ग के किमी0 4 से दरमोली तक नवनिर्माण	8.00	237.00	191.60	0.20
30	जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतानगाट में थुवाक्का हरिनगर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	41.70	41.70	0.20

१. c. attesta

P.C. attested

सहायक अभियन्ता

सहयक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0
बडकोट(उत्तरकाशी)

33	जयपुरी सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	13.19	13.19	0.20
34	लंगी सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.20
34	रई सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.20
34	कोडिया - किमसार - तिमलयाणी सम्पर्क मार्ग से हुंडा तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	139.00	139.00	0.20
35	कोडिया - किमसार - तिमलयाणी सम्पर्क मार्ग के किमी. 7.00 से दिलगा तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.20
36	दुगड़डा लक्ष्मण बूला बैराज के किमी. 56.00 से राजसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	97.30	97.30	0.20
37	कोडिया किमसार मोटर मार्ग के किमी 14.00 से खेराणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	111.20	111.20	0.20
38	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक जहरीखाल में सतपुली-सिराहली मोटर मार्ग के किमी 9 से गटकोट गाँव तक सम्पर्क मार्ग	6.00	83.40	83.40	0.20
39	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक जहरीखाल में सतपुली-दुधारखाल मोटर मार्ग के किमी 24 से निकलने वाला नईछा ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी. 6 से मालार छोटा गाँव तक सम्पर्क मार्ग बनाने का कार्य	5.00	69.50	69.50	0.20
40	जिला पौड़ी में ब्लाक जहरीखाल के अन्तर्गत सारी मल्ली सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.20
41	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिखणीखाल ब्लाक के अन्तर्गत जुई ग्राम मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	55.60	55.60	0.20
42	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिखणीखाल ब्लाक में ग्राम गुनेली मल्ली हेतु मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भिक आगमन	8.00	111.20	111.20	0.20
43	जनपद अल्मोड़ा विकास सण्ड द्वारागत में बिन्ता-सोमेश्वर मोटर मार्ग से नाथल तक मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगमन	5.00	97.10	97.10	0.20
44	जनपद अल्मोड़ा में हारसी से खौडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	137.40	83.40	0.20
45	जनपद अल्मोड़ा में तेलवाखेत कठपुडिया मोटर मार्ग से बड़गाँव सेतला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण	4.00	91.60	58.60	0.20
46	उत्तरकाशी में केडू ज. कालसा तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	94.80	94.80	0.20
47	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रिमाल पानी खील जरापुर मोटर मार्ग का निर्माण	6.50	95.80	95.80	0.20
48	जनपद चमोली में भीम गडकोट मोटर मार्ग का प्राग करचूडा तक विस्तार	25.00	410.40	405.60	0.20

P. C. attester

सहायक अभियन्ता - I

सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड लोअरविधि
गडकोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता

49	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत डामरा कण्डारी मोटर मार्ग से दियाडी सेतवाडी तक मोटर मार्ग निर्माण चौड़ीकरण एवं भारीकरण का कार्य	10.00	191.15	184.40	0.20
50	जनपद उत्तरकाशी में धारी-किम्पी-कलोगी हल्के वाहन मार्ग से खावला ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.00	37.60	31.60	0.20
51	जनपद उत्तरकाशी में सारीगाड, गातू, मूलागाँव एवं मोगाँव गोडर मोटर मार्ग से जादणू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	12.00	241.80	205.80	0.20
52	जनपद उत्तरकाशी में देहली यमनोत्री मोटर मार्ग से खावली गाँव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	10.00	107.00	107.00	0.20
कुल योग			6309.14	5839.20	10.40

(रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)

P. C. attester
सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, लो. वि. वि.
गडकोट (उत्तरकाशी)सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड लोअरविधि
गडकोट (उत्तरकाशी)(टी. के. पन्त)
संयुक्त राखिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 144/2090/09
जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटरमार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की
भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अगस्त 2009

समस्त प्रतीति
(समस्त प्रतीति)
0 निर्माण विभाग
1. बड़कोट (लोक निर्माण विभाग)

जनपद उत्तरकाशी में कुड़ से कोटला मोटरमार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बड़कोट के अन्तर्गत 6.00 किमी० लम्बाई में कुड़ से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि० 7.1.2009 को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री नवीन शर्मा के साथ निरीक्षण किया गया।
2. राज्य योजना के अन्तर्गत कुड़ से कोटला मोटरमार्ग का 6.00 किमी० लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा एक ही समरेखन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन पूर्वनिर्मित 1.00 किमी० मार्ग से आगे आरम्भ होता है तथा 6.00 किमी० लम्बाई पूर्ण कर (0/40 से 6/40) कोटला गांव से आगे समाप्त होता है। कास सैक्शन 2/17 तथा 4/14 में समरेखन दो गदरों को पार करता है, जिन पर लघु सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन में कुल नौ हेयर पिन बैण्ड्स हैं। प्रथम दो बैण्ड (1/20 तथा 1/30) पहले पुल से पूर्व हैं। इसके बाद तीन बैण्ड (2/20, 3/12 तथा 3/24) पहले पुल के बाद हैं। शेष चार बैण्ड दूसरे पुल के बाद (5/13, 5/21, 6/4 तथा 6/12) हैं। इस प्रकार एच. पी. बैण्ड समरेखन के अलग-अलग भाग में तथा एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं। समरेखन से ग्राम नाल्ड (किमी० 3) तथा कोटला (किमी० 5) लाभान्वित होते हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन नाप भूमि, सिविल भूमि तथा आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाइट तथा शिस्ट चट्टान हैं तथा स्थान-स्थान इनके ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवरबर्डन है। इस क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतः 20° से 40° तक है किन्तु चट्टानी भाग में ढलान इससे तीव्र भी है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।
 - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (घ) जहाँ बैण्ड्स पहाड़ के एक ही ढलान पर हैं वहाँ मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो जायेगी जो सामान्यतः मार्ग की स्थिरता तथा अनुरक्षण की दृष्टि से अनुकूल स्थिति नहीं है।

मार्ग कटान किया जाये।

- (च) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
- (छ) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (ज) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (ण) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

H. Kumar
17.8.09
पर्यवेक्षक

सहायक अभियन्ता III

मार्ग निर्माण के मलवे निस्तारण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के कार्य आरम्भ होने के समय जो मलवा अथवा पत्थर निकलेगें उसमें से उचित मलवे का उपयोग करके शेष मलवे को किसी सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर वन संपदा को हानि एवं पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे वहाँ डम्पिंग स्थल बनाकर निस्तारण किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है
बपर दस्तावेज प्रमाणित
बड़कोट

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

61

मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण हाफकट-हाफपिल पद्धति से किया जायेगा। फिर भी यदि मलवा बचता है तो उसे डंपिंग स्थल बनाकर उसमें निस्तारण किया जायेगा

308

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
(बड़कोट(उत्तरकाशी))

61

कार्य का नाम $\Rightarrow$ कुड से कोटला मोटर मार्ग

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु प्रस्ताव योजना/

1	हल्का वाहन मार्ग को 5.95 मी० चौड़ा मोटर मार्ग में परिवर्तन करने हेतु पहाड कटान से उत्पादित मलवे की (पत्थर एवं मिटटी) की सम्भावित मात्रा 6.00 कि०मी० लम्बाई में।
A	कटिंग का कार्य $1/2 \times 6000 \times 6.00 \times 3.5 = 63000.00$
2	मार्ग के निर्माण से उत्पादित मलवे (पत्थर एवं मिटटी) को मार्ग निर्माण में उपयोग
A	दीवार निर्माण में प्रयोग मात्रा $6'00 \times 400 \times \frac{1.25 + 0.50}{2} \times 2.00 = 4200.00 \text{ cum}$
B	पहाड की सुरक्षा हेतु ट्रैस्ट वाल में प्रयोग मात्रा $6'00 \times 400 \times \frac{1.25 + 0.50}{2} \times 2.00 = 4200.00 \text{ cum}$
C	पटरी फिलिंग में प्रयोग होने वाली मात्रा $1/2 \times 600 \times 400 \times 1.50 \times 2.00 = 3600 \text{ cum}$
D	मार्ग की सतह में रिप्रेडिंग का कार्य में उपयोग होने वाली मात्रा $1/2 \times 6.00 \times 1000 \times 6'00 \times 1'00 = 18000.00 \text{ cum}$
	योग = 30000.00
	निस्तारित किये जाने वाले मलवे की मात्रा = 33000.00
	इस प्रकार से उत्पादित मलवे का लगभग 50 प्रतिशत मलवे का उपयोग मार्ग की सतह को उठाने दीवार निर्माण के प्रयोग में तथा पटरी फिलिंग आदि में हो जायेगा जिससे स्थानीय वनस्पति को क्षति नहीं पहुँचेगी एवं भू-क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी
	इस प्रकार अवशेष मलवे का निस्तारण मार्ग में ऐसी जगह चिन्हीत किये जा रहे हैं जिससे वन सम्पदा आदि की क्षति नहीं होगी। निस्तारित किये जाने वाले स्थानों का प्रस्ताव संलग्न लाईन डायग्राम में दर्शाया जा रहा है

308

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

पथ/रिक्त पडे स्थानों में वृक्षारोपण

सड़क की लम्बाई - ६ कि०मी०

क्र	कार्य का विवरण	संख्या	दर	घनराशि
1	2	3	4	5
1	गड्ढों का खुदान करना (45x45x45)	1200 गड्ढे	5.70	6840=00
2	गड्ढों का भरान करना (45x45x45)	1200 गड्ढे	0.97	1164=00
3	पौध की कीमत।	1200 पौधे	0.82	984=00
4	पौध ढलान।	1200 पौधे	5.00	6000=00
5	पौध रोपण कार्य।	1200 पौधे	2.00	2400=00
6	निराई-गुड़ाई व मलियग	1200 पौधे	2.00	2400=00
7	पौध की सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड क्रय फिट करना एवं ढलान सहित	1200 पौधे	5.00	6000=00
8	औजार क्रय करना साइनबोर्ड टोकरी रस्सी आदि	-	ल०स०	10000=00
9	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में)	1 चौकीदार 9 माह	5280.00	47520=00
10	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में उपरान्त प्रथम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
11	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
12	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
13	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
14	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
15	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठ्य वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
16	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
17	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
18	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
19	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
20	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त एकदशम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
21	अनुरक्षण (रोपण वर्ष के उपरान्त द्वादशम वर्ष)	1 चौकीदार 12 माह	5280.00	63360=00
योग ->				7,16,908=00

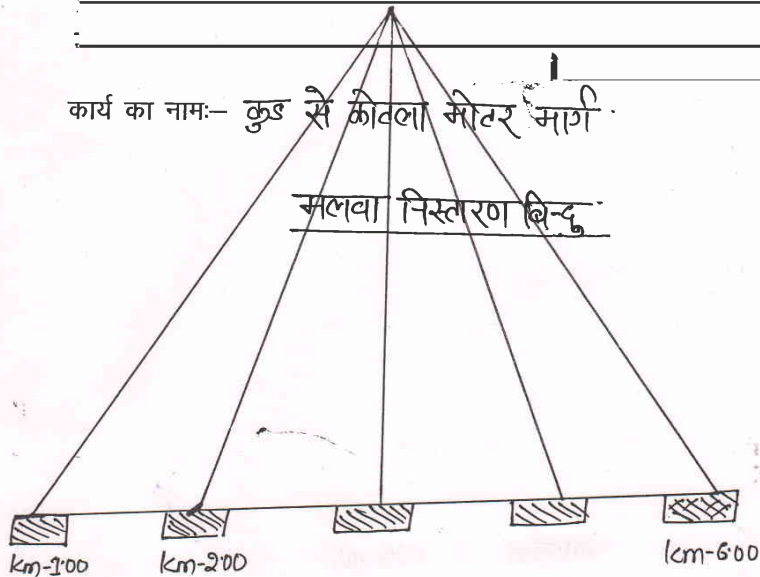
उप वभागीय वनाधिकारी
बपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट

वन जमाधिकारी
रबाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- कुड से कोवला मोटर मार्ग

समवा निस्तरण बिन्दु



सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो०नि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अभिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सीमांकन एवं आर०सी०सी० पिल्लरों को स्थापित किये जाने का आंगणन

क्र० सं०	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य हेतु सर्वेयर	1 सर्वेयर 2 दिन				2 न०	200.00	400.00
2	सर्वेयर के साथ सर्वे उपकरण ले जाने एवं फीता व सर्वे पोल पकड़ने हेतु श्रमिक	4 श्रमिक 2 दिन				8 न०	110.00	880.00
3	साईड तक आने जाने हेतु टैक्सी किराया	2 टैक्सी 2 दिन				2 न०	1500.00	3000.00
4	पेन्ट रस्सी चूना एवं स्टेशनरी पर व्यय						100.00	1000.00
5	आर०सी०सी० पिल्लरों हेतु बुनियाद खुदान	120	0.60	0.60	0.50	25.92 घ.मी.	40.00	1036.80
6	आर०सी०सी० पिल्लर बनाना 1:2:3 सीमेन्ट कंकरीट के साथ	120	0.60	0.60	1.10	47.52 घ.मी.	3851.00	182995.20
7	सरिया की कीमत साइड तक ढुलान सहित	(47.52 x 0.205) = 9.732 कु०				37.30 कु०	5000.00	186500.00
							योग:	375816.32
							या	375800.00

1/10/20

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड ले०

1/10/20
वन संरक्षक
बड़कोट

प्रभासीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रति प्रस्तावित
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Ex. Ex. P. W. D. Barbet (Uttarakhand) Reserve (Soyam land) for diversion under FCA-1980) of 3.0415 has of forest land non forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Khurd to Katala the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 21.7.2011

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/ un-classed/ Protect forest measuring 3.0415 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area, if so the details there of: NO. NIL

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required. NIL

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1 para C of Handbook of forest (Conservation) Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal

Place Barbet
Date

(Signature)
Name [Chiranjeev Sonar]
Designation प्रभासीय वनाधिकारी
Office Seal अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted बड़कोट
xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

01020201008

ग्राम का नाम : कुड़

उपप्रकाशी

प्लानी बर्ष : 1414-1419

परमाणु : बड़कोट

USU/9/12/2009

पान : 1

दिवसी

आवेदक का नाम

विद्यापति साहू

का नाम

निवास स्थान

भूमि

अधिकार

ग्राम होने का

प्लानी बर्ष

बारे के इलेक्ट्रिक

माटे की

बसरा सक्ता

(रु.)

आवेदक

द्वारा देय

मासपुत्री

का स्थान

7-12

13

योग :

133

1.8160

18.40

Page 4 of 4

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड लोनिलिडि
बड़कोट

पान : 01020201008

ग्राम का नाम : कुड़

उपप्रकाशी

प्लानी बर्ष : 1414-1419

परमाणु : बड़कोट

USU/9/12/2009

पान : 1

आवेदक का नाम

विद्यापति/ साहू

का नाम

निवास स्थान

भूमि

अधिकार

ग्राम होने का

प्लानी बर्ष

बारे के इलेक्ट्रिक

माटे की

बसरा सक्ता

(रु.)

आवेदक

द्वारा देय

मासपुत्री

का स्थान

7-12

13

Page 3 of 4

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड लोनिलिडि
बड़कोट

[illegible]

Page 2 of 5

सहायक अभियन्ता-॥
निर्माण खण्ड लोअनि०वि०
बड़कोट

[illegible]

Page 3 of 5

सहायक अभियन्ता-॥
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

बातदार का नाम

उपकारी

पसली बर्ग : 1414-1419

पराला : बड़कोट

भाग : 1

USU/9/12/2009

बातदार का नाम	वितापति बरक का नाम	विगत स्थान	मजिद अधिकार प्राप्त होने का पसली बर्ग	बातदार को बरक गेट का बरक सैका (रि.)	बातदार द्वारा देय मानवपुरी का बरक	रिपली
मेरी	राम 161/12969रि	मा0 कोटवा				
पुनी	राम 19/12969रि	मा0 कोटवा				
मणुपुनिया	राम 2.9/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 163/12969रि	मा0 कोटवा				
पुनी	राम 39/12969रि	मा0 कोटवा				
हनुम सिंह	राम 122/12969	मा0 कोटवा				
राम	राम 035/12969रि	मा0 कोटवा				
नारायण सिंह	राम 034/12969रि	मा0 कोटवा				
मुरार सिंह	राम 137/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 132/12969रि	मा0 कोटवा				
माधु	राम 22/12969रि	मा0 कोटवा				
हनुम	राम 00/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 001/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 122/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 29/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 27/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 15/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 14/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 3/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 3/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 034/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 11/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 323/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 374/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 13/12969रि	मा0 कोटवा				
राम	राम 013/12969रि	मा0 कोटवा				

शाय का अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड लोन्निविड
बड़कोट

शाय का नाम : काटका

उपकारी

पसली बर्ग : 1414-1419

पराला : बड़कोट

भाग : 1

USU/9/12/2009

वितापति बरक का नाम	विगत स्थान	मजिद अधिकार प्राप्त होने का पसली बर्ग	बातदार को बरक गेट का बरक सैका (रि.)	बातदार द्वारा देय मानवपुरी का बरक	रिपली
राम 017/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 103/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 37/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 058/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 56/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 56/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 29/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 069/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 057/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 057/12969रि	मा0 कोटवा				
राम 29/129 69	मा0 कोटवा				
राम 355/129 69	मा0 कोटवा				

योग : 2 0.0560 0.45

शाय का अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड लोन्निविड
बड़कोट

Page 5 of 5

सहायक अभियन्ता-॥
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट-

वैकल्पिक समरेखण नं० 1:— वन भूमि प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में आसमानी रंग से दर्शाया गया है। यह समरेखण कूड कोटला मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से प्रारम्भ होकर कोटला गांव के कॉफी उपर समाप्त होता है। इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 9.00 कि०मी० आती है। मार्ग के इस समरेखण में ज्यादातर आंरक्षित भूमि पड़ रही है, इस समरेखण से ग्रामवासियों की गौशाला की क्षति साथ ही पेयजल एवं नहरों की क्षति भी होगी जिससे इस समरेखण में ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त नहीं हुई। मार्ग की लम्बाई बढ़ने से लागत अधिक आयेगी साथ ही इस समरेखण में हियरपिन बैण्डो की संख्या अधिक होने से भू-वैज्ञानिक ने भी समरेखण नं० 1 पर अपनी असहमति दी है।

वैकल्पिक समरेखण नं० 2:— वन भूमि प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में भूरे रंग से दर्शाया गया है इस समरेखण के उपर पूर्व से ही निर्माणाधीन मार्ग है व ग्राम नाल्ड भी लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, एवं मार्ग की लम्बाई 8.00 कि०मी० आती है इस समरेखण पर भी ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त नहीं हो पायी।

स्वीकृत समरेखण/समरेखण नं० 3:—वन भूमि प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है यह समरेखण कुड कोटला मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से प्रारम्भ होकर कोटला गांव के कुछ आगे जाकर समाप्त होता है । इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 6.00 कि०मी० आती है। मार्ग के इस समरेखण में ज्यादातर भूमि नाप एवं आंशकित पड रही है, व ग्राम नाल्ड व कोटला नजदीक से लाभान्वित हो रहे है। इस समरेखण में वन सम्पदा की कम से कम क्षति व न्यूनतम हियरपिन वैण्ड आ रहे है इस समरेखण में भू-वैज्ञानिक व क्षेत्रीय जनता की सहमति प्राप्त है व सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत समरेखण सं० 3 सभी दृष्टि से उचित है इसी समरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

सहायक अभियन्ता ,
नेर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बडकोट

अधिसासी अभियन्ता ,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बडकोट

(69)

10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	800.00	2730.00	5322.00	8120.00	10428.00	13540.00	16830.00	23600.00
160	400.00	1555.00	3378.00	5710.00	8756.00	12435.00	15306.00	15906.00
250	750.00	2440.00	4544.00	6992.00	9642.00	12975.00	16500.00	20331.00
100	120.00	270.00	474.00	765.00	1133.00	1666.00	2338.00	3168.00
200	500.00	1275.00	2280.00	3994.00	5296.00	7293.00	9730.00	12205.00
100	200.00	450.00	810.00	1254.00	1760.00	2436.00	3218.00	4108.00
100	170.00	245.00	468.00	897.00	1359.00	1859.00	2431.00	3003.00
150	400.00	860.00	166.00	726.00	885.00	885.00	885.00	885.00
200	500.00	990.00	1812.00	2645.00	3289.00	4433.00	5720.00	5863.00
120	300.00	990.00	1932.00	2737.00	3475.00	4290.00	5148.00	5291.00
100	140.00	250.00	468.00	794.00	1100.00	1430.00	1485.00	1945.00
80	100.00	250.00	330.00	449.00	671.00	845.00	1188.00	1216.00
100	170.00	250.00	468.00	730.00	1359.00	1660.00	1661.00	1661.00
100	190.00	315.00	624.00	1150.00	1661.00	2216.00	2717.00	3299.00
60	140.00	195.00	282.00	466.00	672.00	885.00	1188.00	1430.00
150	360.00	815.00	1560.00	2288.00	3548.00	5291.00	7078.00	8580.00
50	80	100.00	130.00	234.00	356.00	445.00	572.00	558.00
150	300.00	760.00	918.00	972.00	1017.00	1188.00	1358.00	1385.00
50	70	140.00	225.00	330.00	449.00	670.00	759.00	875.00
50	70	140.00	225.00	346.00	794.00	1100.00	1518.00	1788.00
50	100	200.00	506.00	954.00	1420.00	2030.00	2618.00	3289.00
50	50	100.00	195.00	340.00	466.00	671.00	671.00	671.00

सत्यजित
सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लोणनिः 40
बडकोट (उत्तरकाशी)

一ノテ 二ノテ 三ノテ 四ノテ 五ノテ 六ノテ 七ノテ 八ノテ 九ノテ 十ノテ

कार्य का नाम :- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

आऊट टर्न मूल्य (9.0 मी० चौड़ाई में आऊट टर्न)

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	घनराशि
1	देवदार	10-20	—	—	
2		20-30	02	800.00	1600.00
3		30-40	02	2730.00	5460.00
4		40-50	11	5322.00	58542.00
5		50-60	08	8120.00	64960.00
6		60-70	07	10428.00	72996.00
7		70-80	04	13540.00	54160.00
8		80-90	01	16830.00	16830.00
9		90-100	01	23600.00	23600.00
				योग:-	298148.00

आकृत टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	चीड	10—20	04	160.00	640.00
2		20—30	38	400.00	15200.00
3		30—40	20	1555.00	31100.00
4		40—50	27	3378.00	91206.00
5		50—60	20	5710.00	114200.00
6		60—70	17	8756.00	148852.00
7		70—80	17	12435.00	211395.00
8		80—90	06	15906.00	95436.00
9		90—100	05	15906.00	79530.00
				योग:-	787559.00

आऊट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	बौज	10-20	—	—	-
2		20-30	07	200.00	1400.00
3		30-40	23	450.00	10350.00
4		40-50	16	810.00	12960.00
5		50-60	05	1254.00	6270.00
6		60-70	04	1760.00	7040.00
				योग:-	38020.00

आऊट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	मोरु	10-20	—	—	
2		20-30	01	200.00	200.00
3		30-40	02	450.00	900.00
				योग:-	1100.00

कार्य का नाम:- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (71)
आकट टर्न मूल्य (७० मी० चौड़ाई में आकट टर्न)

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	बुर्रास	10-20	-	-	-
2		20-30	02	140.00	280.00
3		30-40	04	195.00	780.00
4		40-50	06	340.00	2040.00
5		50-60	07	466.00	3262.00
6		60-70	06	671.00	4026.00
7		70-80	01	671.00	671.00
				योग:-	11059.00

आकट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	अंयार	10-20	-	-	-
2		20-30	08	140.00	1120.00
3		30-40	09	195.00	1755.00
4		40-50	16	340.00	5440.00
5		50-60	11	466.00	5126.00
6		60-70	00	671.00	00.00
7		70-80	02	671.00	1342.00
				योग:-	14783.00

आकट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	कुकाट	10-20	02	80.00	160.00
2		20-30	15	100.00	1500.00
3		30-40	14	130.00	1820.00
4		40-50	06	234.00	1404.00
5		50-60	04	356.00	1424.00
6		60-70	02	445.00	890.00
7		70-80	00	572.00	00.00
				योग:-	7198.00

आकट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	सं०	मूल्य दर	धनराशि
1	चमखडिक	10-20	-	-	-
2		20-30	03	140.00	420.00
3		30-40	03	195.00	585.00
4	प्रभागीय कनाधिकारी	40-50	05	340.00	1700.00
5	परिवार वन प्रभाव	50-60	03	466.00	1398.00
				योग:-	4103.00

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो० नि०

कुल प्रोग:- 1150474.00
1161,970.00

71(a)

कार्य का नाम:- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
आकट टर्न मूल्य (7० मी० चौड़ाई में आकट टर्न मूल्य)

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	चीड	10-20	04	160.00	640.00
2	-तदैव-	20-30	20	400.00	8000.00
3	-तदैव-	30-40	17	1555.00	26435.00
4	-तदैव-	40-50	24	3378.00	81072.00
5	-तदैव-	50-60	14	5710.00	79940.00
6	-तदैव-	60-70	12	8756.0	105072.00
7	-तदैव-	70-80	06	12435.00	74610.00
8	-तदैव-	80-90	05	15906.00	79530.00
9	-तदैव-	90-ओवर	05	15906.00	79530.00
				योग	534829.00

आकट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	देवदार	20-30	01	800.00	800.00
2	-तदैव-	40-50	01	5322.00	5322.00
3	-तदैव-	50-60	05	8120.00	40600.00
4	-तदैव-	60-70	01	10428.00	10428.00
5	-तदैव-	70-80	00	-	-
6	-तदैव-	80-90	00	-	-
9	-तदैव-	90-ओवर	00	-	-
				योग	57150.00

आकट टर्न मूल्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कुकाट	10-20	02	80.00	160.00
2	-तदैव-	20-30	07	100.00	700.00
3	-तदैव-	30-40	03	130.00	390.00
4	-तदैव-	40-50	02	234.00	468.00
5	-तदैव-	50-60	01	356.00	356.00
				योग	2074.00

कार्य का नाम:- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(7.0 मी० चौड़ाई में आउट टर्न मूल्य)

आऊट टर्न मूल्य

क0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अयार	20-30	06	140.00	840.00
2	-तदैव-	30-40	08	195.00	1560.00
3	-तदैव-	40-50	03	340.00	1020.00
4	-तदैव-	50-60	01	466.00	466.00
			योग		3886.00

आऊट टर्न मूल्य

क0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बान	20-30	05	140.00	700.00
2	-तदैव-	30-40	03	195.00	585.00
3	-तदैव-	40-50	04	340.00	1360.00
4	-तदैव-	50-60	03	466.00	1398.00
			योग		4043.00

आऊट टर्न मूल्य

क0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बुरास	20-30	01	140.00	140.00
2	-तदैव-	30-40	04	195.00	780.00
3	-तदैव-	40-50	02	340.00	680.00

कार्य का नाम:- कुड से कोटला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(7.0 मी० चौड़ाई में आउट टर्न)
आऊट टर्न मूल्य

क0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	खडीक	20-30	01	140.00	140.00
			योग		140.00

आऊट टर्न मूल्य

क0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	मूल्य दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मोरु	30-40	01	450.00	450.00
			योग		450.00

कुल योग:- 604638.00


वन क्षेत्राधिकारी
वन राजीव
(सरकारी)

वन प्रभाषीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाल
बड़कोड


प्रभाषीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाल
बड़कोड

(72)

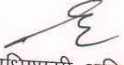
मार्ग का नाम:- कुड से कोटला मोटर मार्ग।

वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना में कार्य करने वाले श्रामिको/कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में ईंधन हेतु कैरोसीन/गैस/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार के पेड़-पौधों को ईंधन प्रयोग हेतु कोई हानि नहीं पहुँचाई जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

स्थल विशिष्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुड से कोटला मोटर मार्ग के समरेखण में कोई विशिष्ट स्थल नहीं है।


सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
बड़कोट।